29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 243–पीबीआर/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 253/2008–09/अपील.

1– महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाब सिंह
2– जसवंतसिंह पुत्र गुलाब सिंह
3– पवनसिंह पुत्र गुलाब सिंह
निवासी ग्राम हुरावली
परगना व जिला ग्वालियर .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन उप पंजीयक
(स्टाम्प कलेक्टर), पंजीयक कार्यालय
नजरबाग, लश्कर, ग्वालियर
2– फैनसिंह पुत्र हरगोविन्दसिंह
निवासी ग्राम हुरावली
परगना व जिला ग्वालियर .....प्रत्यर्थीगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्रीमती रजनी वरिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47–क (5) के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम मेहरा परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 867 मिन, 868 व 948 मिन कुल रकबा 3.804 हेक्टेयर का आधा भाग रूपये 2,00,000/– में किय किया जाकर दस्वावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य

कम पाते हुए उप पंजीयक द्वारा द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर आफ स्टाम्प, ग्वालियर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 98/बी–105/96–97/47–क(1) दर्ज कर दिनांक 30–12–2003 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 17,12,000/– अवधारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 1,94,670/– व पंजीयन शुल्क रूपये 12,096/– कुल रूपये 2,06,766/– निर्धारित करते हुए शासकीय कोष में जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–10–09 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस समय अपीलार्थीगण द्वारा भूमि कय की गई थी, उस समय वह नगर निगम सीमा में नहीं थी । यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है कि उनके द्वारा कुंआ बाद में खुदवाया गया है, इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में दो विकय पत्र निष्पादित हुए हैं, और एक विकय पत्र का मूल्य कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा सही मान्य किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 313 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 17,12,000/– अवधारित करते हुए रूपये 1,94,670/– मुद्रांक शुल्क एवं रूपये 12,096/– पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उनके समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से उठाये गये बिन्दुओं पर विधिवत विचार कर निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप कॉ कोई आधार इस अपील में नहीं है । चूंकि

कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, इसलिए उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–09 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर